HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8036/2026
CNR: RJHC020486492026 | URN: CRLMB / 14683U / 2026

Jaisingh S/o Shri Padamsingh, Aged About 43 Years, R/o Hakola, Ka Baadiya, Shrinagar Road, Badlya, Police Station Adarsh Nagar, Ajmer, Rajasthan. (At Presently Confined In Central Ajmer, District Ajmer).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vijay Kumar Jangid, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Sanjay Gangwar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

26/11/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना आदर्श नगर, जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **23/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 124(2), 109(1) बी.एन.एस. में पेश किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, दिनांक 01.02.2026 से अभिरक्षा में है, विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Digitally signed by
DINESH KUMAWAT
Date: 2026.11.26
17:01:24 IST

4. दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. हस्तगत मामले प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अपनी पत्नी व साले के साथ मारपीट करने तथा जलाने का आरोप है। यद्यपि आरोप गंभीर अपराध से संबंधित है परंतु अभियुक्त इस मामले में दिनांक 01.02.2026 से अभिरक्षा में है, कोई भी चोट प्राणघातक नहीं है, आहत पी.डब्ल्यू–01 के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित हो चुकी है।

6. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **जयसिंह पुत्र पदमसिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/3/DINESH KUMAWAT